की दुरूस्ती किये जाने की अनुशंसा की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरूस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी है। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार रायसिंहनगर की अनुशंसा के आधार पर वाके चक 5838 तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता सं. 10 में

SBBO अजमा रायसिंहनगर

के स्थान पर

SBI अजमा रायसिंहनगर

की दुरूस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.02.21 16:57:59 IST
Reason: SelfAttested